

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक /1555 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर,

दिनांक 04/09/2026

प्रवेश वर्ष 2026 - NEET UG (MBBS & BDS) पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण काउंसिलिंग हेतु संस्था चयन सूचना

प्रवेश वर्ष 2026 – NEET UG (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम के प्रथम चरण आवंटन में प्रवेश उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों से नवीन पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पूर्व पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन संस्था चयन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदक ऑन-लाईन आवेदन एवं संस्था चयन करने के पूर्व क्रमांक: **RULE-503/30/2025/ MED.** छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 (विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करें, जो की वेबसाइट www.cgdme.in एवं <https://cgdme.admissions.nic.in/> में उपलब्ध है।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं संस्था चयन प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी

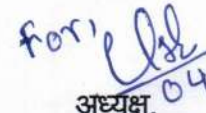
क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि	दिनांक 05 सितम्बर 2026, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 08 सितम्बर 2026, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक
2	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Choice Filling and Locking)	दिनांक 05 सितम्बर 2025, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से दिनांक 09 सितम्बर 2025, समय Server Time 23:59 Hrs (11:59 PM) तक

नोट:- 1. प्रथम चरण आवंटन से प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेड हेतु पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् संस्था चयन करने पर ही उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा।



2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 के नियम 7(x)(तीन) के अनुसार, जो अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अपात्र है, उन्हें काउंसिलिंग के आगामी चरणों में पंजीयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. पूर्व से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित तिथि में संस्था चयन करना आवश्यक है चूंकि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चयन किये संस्था स्वतः शुन्य हो गये हैं, अर्थात संस्था चयन रिक्त हो गया है, अतः द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए पुनः संस्था चयन करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी संस्था चयन नहीं करेंगे तो उन्हें द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सीट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
4. पूर्व में पंजीकृत वे अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन किया था, यदि वे आगामी काउंसिलिंग में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का चयन करना चाहते हैं, तो उन्हें निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निर्धारित पंजीयन राशि और पूर्व में जमा पंजीयन राशि के मध्य के अंतर की राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उक्त अतिरिक्त भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालय का चयन कर सकेंगे।
5. द्वितीय चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी। (देखें कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का सूचना क्रमांक /1368/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर दिनांक 07.08.2026)
अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्था चयन करते समय केवल उसी महाविद्यालय का चयन करें, जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक हों।
6. आगामी काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.cgdmie.in एन.आई.सी. की वेबसाइट <https://cgdmie.admissions.nic.in/> का नियमित अवलोकन करें।
7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाइस लॉकिंग इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आवंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

For 
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा